न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री गणपत
पुत्र श्री दुलाराम
जाति नायक नि चिताावा

मुकदमा नं 05 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 23/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम चिताावा खसरा नम्बर 258 रकबा 0.2600 हैक्टर किस्म बा. 2 (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 खरीफ में श्री गणपत पुत्र श्री दुलाराम जाति नायक निवासी चिताावा (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा बाड़कर कब्जा जिसमें दो कमरे, 2 झोपे, टिनशेड लगाकर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी गणपत पुत्र दुलाराम उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया। जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम चिताावा ख.न. 258 रकबा 0.2600 हैक्टर किस्म सिवायचक बा. 2 पर संवत 2074 फसल खरीफ में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर बाड़ कर व आंशिक पक्का निर्माण कर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिक्रमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति का 50 गुणा रूपया 6.50 रु० पूर्णांक 7.00 रु. (रूपये सात रूपये) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का चिताई भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/17 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला - नागौर (राज०)